

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 नं0-06/2010

विजय कुमार यादव वगैरह
बनाम
यार मोहम्मद वगैरह।

5

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
26.03.2013	आदेश यह प्रियमसन अपील वाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय के प्रियमसन वाद सं0-01/2008-09 में दिनांक 17.05.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध लिमिटेशन आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। संक्षेप में मामला पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा- सुन्दरपुर नं0-85 के दाग नं0-204 के कुल रकवा 9-19-1 धूर में से 2-0-0 धूर जमीन की प्रियमसन से संबंधित है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-सुन्दरपुर नं0-85 के दाग नं0-204 के कुल रकवा 9-19-01 धूर में से 2-0-0 धूर जमीन विक्रेता जफर नईम अधिवक्ता, पाकुड़ एवं रिजवान जाफर दोनों के पिता- मो0 हाफिजुद्दीन, हाटपाड़ा, थाना-पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ से 1,00,000.00 (एक लाख) रुपये में निबंधन केवाला संख्या-229 दिनांक 17.01.2008 के द्वारा खरीदा गया है तथा उक्त भूमि अपीलकर्ता के दखल में है। लेकिन उत्तरवादी नं0- 2 एवं 3 के द्वारा अपने को विक्रेता का सह हिस्सेदार बताते हुए 10.04.2008 को प्रियमसन वाद सं0-01/2008-09 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय में दायर किया गया था। जिसे निम्न न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित कर विक्रेता को आवेदक (इस वाद के उत्तरवादी) के पक्ष में निबंधन करा देने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि बिहार लैण्ड सिलिंग एक्ट-1961 के नियम 16(3)iii में प्रावधान है कि यदि निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन को मंजूर किया जाता है तो उस आदेश का अनुपालन हेतु वर्तमान क्रेता को अपीलकर्ता के पक्ष में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर निबंधन के माध्यम से जमीन को हस्तान्तरण किये जाने का आदेश दिया जाना है और यदि निर्धारित अवधि के अन्दर क्रेता के द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश-21 के नियम 34 पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो निम्न न्यायालय द्वारा इस नियम के तहत आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अलावे यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय के आदेश	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
पत्रक में 09.01.2009 को वाद को रखा गया था। लेकिन इस वाद में अपीलकर्ता (निम्न न्यायालय के विपक्षी) को बिना सुने दिनांक 17.05.2010 को आदेश पारित किया गया है।	
अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि क्रेता हिन्दू सम्मिलित परिवार से है। उनका जमीन उस मौजा में भी है, जिसका चास-आबाद किया जा रहा है। इसलिये अपीलकर्ता को उस मौजा का रैयत भी कहा जा सकता है। इस पर अपीलकर्ता का अग्राधिकार भी बनता है। इनके द्वारा B.B.C.J. 1985 पटना के पृष्ठ 343 की प्रति दाखिल करते हुए कहा गया कि प्रियमसन में संयुक्त आवेदन सह हिस्सेदार नहीं रहने पर मान्य नहीं होगा। उत्तरवादी के द्वारा उसका कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरवादी नं०- 2 एवं 3 के द्वारा दिनांक 10.04.2008 को संयुक्त आवेदन निम्न न्यायालय में उनके विज्ञ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं श्री नरेश कुमार साहा के द्वारा दाखिल किया गया था एवं बाद में उत्तरवादी यार महम्मद को छोड़कर उत्तरवादी नफीस अख्तर के द्वारा विज्ञ अधिवक्ता श्री राजीव कुमार यादव को उनके तरफ से प्रतिनिधित्व हेतु वकालतन अलग से दाखिल किया गया है। लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा नियम का उल्लंघन कर आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को नियमसंगत नहीं होने के कारण उसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	
उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वर्णित जमीन उत्तरवादियों के संयुक्त परिवार का जमीन है। संयुक्त परिवार के सह हिस्सेदार के द्वारा बिना जानकारी दिये अपीलकर्ता को जमीन विक्रय किया गया था। जिसके विरुद्ध समयान्तर्गत विक्रय किये गये राशि के साथ 10% अधिक राशि चालान द्वारा जमा कर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय में प्रियमसन वाद दायर किया गया था। वर्णित जमीन पर उत्तरवादियों का दखल कब्जा अभी भी है। इनका यह भी कहना है कि दिनांक 04.12.2009 को निम्न न्यायालय में दोनों पक्षों के द्वारा दिये गये आपसी सहमति संबंधी आवेदन जिसमें यह उल्लेख था कि आवेदक (इस वाद के उत्तरवादी) के पक्ष में निबंधित केवाला सं०-229/2008 में वर्णित जमीन क्रेतागण (अपीलार्थी) आवेदक के पक्ष में निबंधन कार्यालय, पाकुड़ में उपस्थित होकर निबंधन करने को प्रस्तुत है। उक्त सहमति आवेदन के आधार पर वर्णित जमीन का सह हिस्सेदार होने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी (निम्न न्यायालय के आवेदक) के पक्ष में आदेश पारित किया गया। लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा उस सहमति आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपील दायर किया गया है। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बताते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	दोनों पक्षों के विज्ञा अधिवक्ताओं के तर्क को सुना तथा निम्न न्यायालय के आदेश एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख में उत्तरवादी के द्वारा दाखिल निबंधित हेवाबिल एवज की प्रति में वर्णित जमीन उत्तरवादियों के संयुक्त परिवार की जमीन है, जिसपर उत्तरवादी का प्रियमसन का अधिकार बनता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। अपीलकर्ता को आदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर वर्णित जमीन उत्तरवादियों के पक्ष में निबंधित करा दें। निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि अगर उक्त अवधि के अन्दर अपीलकर्ताओं के द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (V of 1908) आदेश-21, नियम-34 के अन्तर्गत निबंधन कराने की कार्यवाई सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 09/04/2013 Seen 01/04/2013 for the petitioner